(70)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

रेस्टोरेशन प्रकरण क्रमांक /2019 जिला–इन्दौर

पुनर्स्थापन-0327/2019/इंदौर/भू०रा०

महावीर इन्टरप्राईजेस तर्फे पार्टनर श्री राजेश मेहता वर्तमान पार्टनर श्री दीपक पुत्र श्री नानकराम कालरा
निवासी – रामनगर आर.टी.ओ. रोड़, इन्दौर म.प्र.

.... आवेदक

विरूद्ध

1 मध्य प्रदेश शासन द्वारा उप पंजीयक जिला इन्दौर

2 श्रीमती कस्तूरी बाई सुखराम खण्डेलवाल ट्रस्ट तर्फे अध्यक्ष श्री गोविन्द पुत्र स्व. श्री तुलसीराम खण्डेलवाल
निवासी – 23 गुलमोहर कालौनी इन्दौर (म.प्र.)

.... अनावेदक

श्री के.के. द्विवेदी अधि. द्वारा आज दि. 02-3-19 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 7-3-19 नियत।
2-3-19
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 901/पी.बी.आर/2015 अपील को पुनः स्थापित किये जाने हेतु आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 9 नियम 32 म.प्र. भू–राजस्व संहिता।

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से आवेदन सविनय निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

02/03/19

1 यहकि, प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील प्रकरण क्रमांक 901/पी.बी.आर/2015 प्रस्तुत की गयी थीं। जिसमें तारीख पेशी दिनांक 17.04.2018 नियत की गई थी।

2 यहकि, उक्त तारीख पेशी पर प्रार्थी के अभिभाषक उपस्थित नहीं हुये और प्रकरण अभिभाषक की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया है। जबकि प्रार्थी द्वारा अपने अभिभाषक को प्रकरण में पैरवी करने हेतु नियुक्त कर दिया गया था इस हेतु संबंधित दस्तावेज एवं अभिभाषक फीस उपलब्ध करायी गयी थीं। और अभिभाषक द्वारा यह सलाह दी गयीं थी कि तारीख पेशीयो पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिये प्रार्थी प्रकरण में अभिभाषक की सलाह के अनुसार उपस्थित नहीं हो रहा था।

3 यहकि, अभिभाषक की त्रुटि के लिये पक्षकार को दण्डित नहीं किया जाना चाहिये इस सम्बन्ध में निम्नलिखित न्याय दृष्टांत अवलोकनीय है – ए.आई.आर. 1984 एस.सी. 41, ए.आई.आर. 1981 एस.सी. 1400, 1995 आर.एन. 411 अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त न्याय दृष्टांत पर विधिवत् विचार किया जाकर प्रकरण को न्यायहित में पुनः स्थापित किये जाने के आदेश दिया जाना न्यायोचित होगा।

4 यहकि, अन्य आधार तर्को के समय अभिलेख अवलोकन कर मौखिक रूप से निवेदन किये जायेगे।

अतः निवेदन है कि रेस्टोरेशन आवेदन–पत्र स्वीकार कर अपील प्रकरण क्रमांक 901/पी.बी.आर/2015 को पुनः स्थापित कर प्रकरण का निराकरण गुण–दोषों पर किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान किये जाये।

स्थान : ग्वालियर
दिनांक : 02/03/2019

निवेदक
महावीर इन्टरप्राईजेस तर्फे पार्टनर श्री राजेश मेहता वर्तमान पार्टनर श्री दीपक पुत्र श्री नानकराम कालरा
निवासी – रामनगर आर.टी.ओ. रोड़, इन्दौर म.प्र.

.... आवेदक

द्वारा अभिभाषक
के.के.द्विवेदी

कार्यालय ... राजस्व मण्डल
401
01.03
02/3/19

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग अ

राजस्व मंडल का प्रकरण क्रमांक: ....पुर्नस्थापन -0327/2019/इंदौर/भू-रा.....

तहसील: ....

जिला: ....इंदौर....

पुर्न/पुनर्विलोकन में राजस्व मंडल का प्रकरण : ....

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक: ....

कलेक्टर के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक: ....

अनुविभागीय पदाधिकारी का प्रकरण क्रमांक : ....

तहसील का प्रकरण क्रमांक: ....

यदि कोई अन्य न्यायालय हो तो : ....अपील-901/PBR/15,....

वाद का विषय: ....पुर्नस्थापन ....

अधिनियम एवं धारा जिसके अंतर्गत प्रकरण यहाँ प्रस्तुत हुआ है : .....म.प्र.भू.रा.संहिता......

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
	आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला....इंदौर.... । ....के मूल/अपीलीय आदेश दिनांक : ...17/04/2018... के विरूद्ध ...महावीर इन्टरप्राईजेस...।...म०प्र० शासन,कस्तूरी बाई..।...धर्मेन्द्र चतुर्वेदी... के अभिभाषक द्वारा पुर्नस्थापन - पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है । प्रकरण में प्रथम सुनवाई दिनांक ...07/03/2019...है | जिसकी सूचना आपको एस.एम.एस. से दी जा चुकी है|	
7-3-19	आवेदक अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उप.। इन्हें रेस्टोरेशन आवेदन पर सुना गया। पर्याप्त आधार होने से विलम्ब क्षमा करते हुये रेस्टोरेशन आवेदन स्वीकार किया जाता है। मूल प्र.क्र. अपील 901-PBR/15 पुनः नम्बर पर लिया जाता है। इस प्रकरण मे कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से यह प्रकरण समाप्त किया जाता है। अध्यक्ष	

द्वारा अभिभाषक